171/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.12.2022	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी उपस्थित। अपीलांट के अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो करने पेश किया गया, जो शामिल मिसल हो। तत्पश्चात अपीलांट के अधिवक्ता की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलार्थी लोक अदालत की भावना से विड्रो करना चाहता है। अपीलार्थी को नवीन वादकरण की स्थिति में नवीन अपल प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए अपील विड्रा करने की अनुमति दी जाना कानूनन आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील को जरिये विड्रो खारिज फरमाया जावे। अपीलांट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा जाहिर किया गया है कि अपीलांट लोक अदालत की भावना से अपील को विड्रो करना चाहता है तथा अपील प्रस्तुति के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए अपील जरिये विड्रो खारिज किया जावे। लिहाजा अपीलांट द्वारा अपील जरिये विड्रो खारिज करवाये जाने से न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट के अपील प्रस्तुति के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए अपील को जरिये विड्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	